

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1364

दिनांक : 04.02.2026

आदेश

सां. आ. 154/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 के नियम 78(6) के खण्ड (IX) में अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र के संबंध में यह प्रावधान है कि मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4189 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 123/2019) को अधिक्रमित करते हुए अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता है :-

1. मतपत्र की चौड़ाई 4 इंच होगी।
2. मतपत्र के ऊपरी भाग पर 4 MM मोटाई की छायादार (Shaded) लाईन अंकित होगी।
3. इसके पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए पैनल बनाए जाएंगे। प्रत्येक पैनल की ऊंचाई 25 MM होगी।
4. प्रथम एवं द्वितीय पैनल को 10 MM एवं अन्य सभी पैनलों को 4 MM मोटी छायादार (Shaded) लाईन से पृथक किया जाएगा।
5. मतपत्र के प्रथम एवं द्वितीय पैनल के मध्य 10 MM की लाईन को बीच से ऊर्ध्वाधर (Vertical) रेखा से विभाजित किया जाएगा, अर्थात् 2 इंच की चौड़ाई के दो भाग बनाए जाएंगे। बाईं ओर वाले भाग में मतपत्र क्रमांक अंकित किया जाएगा। दाईं ओर वाले भाग को 5 MM की क्षैतिज (Horizontal) रेखा से विभाजित कर 5 MM के दो भाग बनाए जाएंगे। ऊपरी भाग में निर्वाचन की विशिष्टियां यथा अध्यक्ष नगरपालिका का नाम, साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन और वर्ष अंकित की जाएगी। (उदाहरण के लिए - "अध्यक्ष/झालरापाटन/सा. नि./26") नीचे वाले भाग को छायादार (Shaded) रखा जाएगा।
6. अभ्यर्थी का नाम पैनल में बाईं ओर तथा उसका प्रतीक दाहिनी ओर अंकित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बाईं ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दाईं ओर होगा।
7. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 35 X 20 MM (चौड़ाई X ऊंचाई) से अधिक नहीं होगा।
8. अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे, जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं।
9. मतपत्र पर विशिष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।
10. जहाँ किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जाए वहां मतपत्र दो स्तम्भों में, 18 से अधिक होने पर तीन स्तम्भों में होगा एवं आगे भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतपत्र का प्रत्येक स्तम्भ 4 इंच का होगा।

11. मतपत्र के दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 10 MM मोटाई की छायादार (Shaded) ऊर्ध्वाधर (Vertical) लाईन अंकित होगी। निर्वाचन की विशिष्टियां पहले स्तम्भ में ही अंकित की जानी है।
12. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।
13. नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषम में हो वहां मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।
14. मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में नमूना मतपत्र क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

भवदीय,
 04/02/26
 (राजेश वर्मा)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1365/1370
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 04.02.2026

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलेक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

04.02.2026
 (अम्बालाल मीणा)
 उप सचिव

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

विपिन कुमार	
No.	अध्यक्ष / झालरापाटन / सा.नि. / 26
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
विपिन कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

विपिन कुमार		विपिन कुमार	
No.	अध्यक्ष / झालरापाटन / सा.नि. / 26		
विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		विपिन कुमार	
विपिन कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	